


राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक:एफ 5(3)आप्र.एवं सहा./चारा डिपो/2019/ ८७३५-५९

जयपुर,दिनांक । ४-६-२०२०

आदेश


राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 10.6.2020 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में अभाव सम्बत 2076 में अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनुदानित दर पर चारा वितरण हेतु चारा डिपो स्वीकृति के सम्बन्ध में जारी विभागीय दिशा-निर्देश क्रमांक 3997-4010 दिनांक 29.3.2020 के बिन्दु संख्या 12 में अभावग्रस्त जिलों के स्थान पर अभावग्रस्त ग्राम किया जाता है।



शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राज0,जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग,राज0.,जयपुर।
- 3 उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, अतिठि मुख्य सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज.0, जयपुर।
6. निजी सचिव, सभागीय आयुक्त, बीकानेर, जोधपुर।
- 7 जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता), बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं हनुमानगढ़।
- 8 निदेशक, गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, आ०प्र० एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
10. तकनीकि निदेशक, आरआईएससल, जयपुर।
11. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
12. प्रोग्रामर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।


संयुक्त शासन सचिव